राजस्थान सरकार
कार्मिक (ग्रुप क–2) विभाग

सं. एफ. 5(12)डीओपी/ए–II/74 पार्ट दिनांक : 3.05.2013

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियन्ताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रस्तावना का संशोधन.–** राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1975, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की प्रस्तावना में विद्यमान अभिव्यक्ति "परियोजना निदेशकों और परियोजना अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जाने के लिए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियन्ताओं और परियोजना अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जाने के लिए" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **शीर्ष का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों की प्रस्तावना के नीचे और नियम 1 से पूर्व आये विद्यमान शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

28/2013